



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड-492002

क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र,
प्रति,

रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

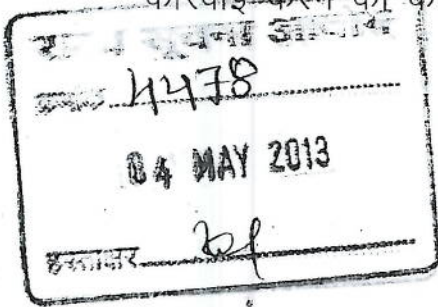
समस्त कलेक्टर,
(छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत ।

—000—

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कंडिका-5.02 जिला स्तर पर कलेक्टरों के द्वारा विभिन्न विभागों की अनेक मीटिंग ली जाती है, तब जिला स्तर के विभागों की सामुहिक मीटिंग ली जावे, तब सूचना के अधिकार के संबंध में विभिन्न विभागों में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण किया गया है । इसी प्रकार प्रथम द्वितीय अपील प्रकरणों की स्थिति तथा कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की जाये ।

2/- अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए समस्त अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर समुचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।



(कमर अली)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

एवं जन सूचना अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र,
प्रतिलिपि:-

रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छायाभवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2.2013
के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2 MAY 2013

प्रमाणित

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

एवं जन सूचना अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग